

119

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल भोपाल बेंच, म0प्र0

पुनरीक्षण कं. /2014 R 4056-PBR114

1 मदनलाल आ. गौरेलाल, वयस्क  
2 भंवर जी आ. श्री गौरेलाल, वयस्क  
दोनों निवासी ग्राम तरावली, तहसील गौहरगंज  
जिला रायसेन म0प्र0 ।

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मुन्नी बाई पुत्री श्री गौरेलाल, वयस्क  
निवासी ग्राम बगरोदा, तहसील हुजूर  
जिला भोपाल (म0प्र0)

उत्तरदाता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

आयुक्त महोदय,

भोपाल

श्री

1-8-22-11-14

6/11/14

सिद्ध

गौहरगंज

पुनरीक्षणकर्ता माननीय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के अपील प्रकरण कं.

14/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 12.8.2014 अवधि विधान अधिनियम की

धारा 5, जानकारी दिनांक 25.08.2014 एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त दिनांक 22.09.2014 से


दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4056-पीबीआर/14

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
14-1-2015	<p>आवेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12-8-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक क्रमांक 1 मदनलाल द्वारा यह निगरानी उसकी एवं भंवर जी आत्मज गौरेलाल की ओर से प्रस्तुत की गई है, जबकि भंवर जी अथवा उसके अभिभाषक के निगरानी में हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए यह निगरानी भंवर जी आत्मज गौरेलाल की ओर से प्रस्तुत की जाना मान्य नहीं की जा सकती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि अनुकूल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इसी आधार पर ग्राह्य योग्य नहीं है । जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका मुन्नीबाई को आदेश की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए जानकारी के दिनांक से अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील समय-सीमा में मान्य किए जाने योग्य है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी विधिवत प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(स्वदीप सिंह)</b>                      अध्यक्ष                 </p>	